जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 168 वीं बैठक दिनांक 21.10.2011 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्रीमति शुचि शर्मा ,सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एच.एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त, (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमती लवंग शर्मा, अति. मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी), एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. श्री पी.अरविन्द अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मा.प्लान) जविप्रा, जयपुर।
2. श्री राजेन्द्र सिंह उपायुक्त जोन–1 जविप्रा, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार चौहान, उपायुक्त जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमति अल्पा चौधरी, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री हरिंदर सिंह उपायुक्त जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन–7, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री राकेश शर्मा उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
8. श्रीमति साधना शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी (II), जविप्रा, जयुपर ।
9. श्री प्रेम शंकर शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक (III), जविप्रा जयपुर।
10. श्रीमति आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक (IV), जविप्रा, जयपुर।
11. श्री सत्यप्रकाश, तहसीलदार, (जोन–2), जविप्रा, जयपुर।
12. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन–12 जविप्रा, जयपुर।
13. श्री आर.जी. महावर, सहायक नगर नियोजक, जोन–6, जविप्रा, जयपुर।
14. श्री श्री अमित व्यास, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी, जविप्रा, जयपुर।
15. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–
एजेण्डा संख्या:–1
163/26.04.2011

विषय:– बीपीसी (ले आउट प्लान) 167 वीं बैठक दिनांक के 12.09.2011 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि। ।

कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2

163/26.04.2011(जोन–4)

विषयः–इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूर्य नगर के भूखण्ड संख्या 8, 9, 10, 11, 12 व 13 के पुर्नगठन के सबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इन्द्रा नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूर्य नगर के भूखण्ड संख्या 8, 9, 10, 11, 12 व 13 क्षेत्रफल 2598.80 वर्ग गज का आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन निम्न पैरामीटर्स रखते हुये स्वीकृत किया गयाः–

सामने –12 मीटर (मुख्य टोंक रोड की ओर)

शेष तीनों ओर –6.0 मीटर

अन्य मापदण्ड भवन विनियम 2010 के अनुरूप देय होगें।

प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्याः–3

163/26.04.2011(जोन–5)

विषयः– अरविन्द नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव शक्ति नगर के भूखण्ड संख्या 20 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना का अनुमोदन बीपीसी (सीपीसी) की बैठक दिनांक 31.05.1994 में किया गया जिसके कार्यवाही विवरण में भूखण्ड संख्या 20 को सुविधा क्षेत्र में रखे जाने का कोई उल्लेख नहीं है केवल तत्समय भूखण्ड संख्या 114 को ही गैर अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया था। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या 20 सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने का प्रकरण है अथवा नहीं, का विधिक परीक्षण कर उचित कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्याः–4

163/26.04.2011(जोन–7)

विषयः– श्री सुधीर मेहता एवं श्रीमति सीमा मेहता मैसर्स रिद्धीराज बिल्डमार्ट प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री कुणाल जैन के भूखण्ड संख्या 182, 183 हनुमान नगर डी ब्लॉक के पुर्नगठन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। भूखण्ड संख्या 182 का क्षेत्रफल 527.77 पर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 183 का क्षेत्रफल 527.77 वर्ग गज है इस प्रकार पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1055.57 वर्ग गज है इसलिये इन भूखण्डों का पुर्नगठन निम्न पैरामीटर्स के अनुसार स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

पुर्नगठित भूखण्डों के सबैटबैक निम्नानुसार देय होगें:–

सामने	– 30'–0"
साईड–I	– 15'–0"
साईड–II	– 15'–0"

पीछे– – 15'–0''

अन्य मानदण्ड जविप्रा भवन विनियम 2010 के अनुसार देय होगें।

एजेण्डा संख्याः–5

163/26.04.2011(जोन–12)

विषयः– विजय कॉ आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि की योजना हनुमान नगर ग्राम भांकरोटा तहसील सांगानेर के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। योजना में जिन भूखण्डों के मध्य से 11 के.वी. की हाईटेंशन लाईन गुजरने के कारण जिन भूखण्डों को अस्वीकृत किया गया था। मौके की रिपोर्ट अनुसार इन भूखण्डों में हाईटेंशन लाईन हट गई है इसलिये इन भूखण्डों को स्वीकृत कर इन भूखण्डों का नियमन किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–6

163/26.04.2011

विषयः– रोड सेक्टर प्लान संख्या 67 के अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा एजेण्डा पर विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् प्रारूप रोड सेक्टर प्लान संख्या 67 का अनुमोदन किया जाने का निर्णय लिया गया साथ ही यह भी निर्णय गया कि प्रारूप रोड सेक्टर प्लान की विज्ञप्ति जारी कर जनता से आपत्ति/सुझाव भी प्राप्त किये जाये।

अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

अति. एजेण्डा संख्या–1

160/07.02.2011(जोन–4)

विषयः– शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना श्याम वाटिका के भूखण्ड संख्या 34 से 42 तक के अनुमोदन के सबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार शंकर भवन गृ.नि.स. समिति की योजना श्याम वाटिका के भूखण्ड संख्या 34 से 42 में व्यावसयिक गतिविधियां बन्द कर दी गई है अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि इन भूखण्डों (भूखण्ड संख्या 34 से 42) का नियमन किया जावे।

अति. एजेण्डा संख्या–2

163/26.04..2011(जोन–5)

विषयः– श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना देवी नगर के भूखण्ड संख्या 818 का नियमन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जोन द्वारा एजेण्डा में किये गये उल्लेख अनुसार भूखण्ड संख्या 818 का क्षेत्र राजस्व रिकार्ड अनुसार नाला दर्ज नहीं है तथा उक्त क्षेत्र नाले से प्रभावित क्षेत्र में नहीं है अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 818 का नियमन किया जावे।

अति. एजेण्डा संख्या–3

163/26.04..2011(जोन–5)

विषयः– न्यू पिंकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना धर्मपार्क के भूखण्ड संख्या 52 का पट्टा/लीजडीड जारी करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में स्वीकृत 40' सडक को गोलाई के स्थान पर वर्तमान मौका स्थिति अनुसार सीधी रखी जावे एवं सडक सीमा से प्रभावित क्षेत्र को सडक के दोनों ओर से समान भूमि लेते हुये इन भूखण्डों (भूखण्ड संख्या 52, 53 व 53–ए) का नियमन किया जावे।

अति. एजेण्डा संख्या–4

163/26.04..2011(जोन–9)

विषयः– ग्राम रामनगरिया तहसील सांगानेर के खसरा नं. 218, 224, 225, 226 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर भूमि क्षेत्र का मानचित्र अनुमोदन किये जाने से पूर्व प्रभावित 60 फिट चौडी सेक्टर रोड का निर्धारण बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि 60'–0" चौडी सडक के सबंध में अतिरिक्त आयुक्त (भूमि) को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना शिव नगर ए के जिन भूखण्डधारियों के इस 60' सडक पर पट्टे जारी किये जा चुके है उन भूखण्डधारियों को पहले सुनकर अपनी राय प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये जाये।

अति. एजेण्डा संख्या–5

163/26.04..2011(जोन–9)

विषयः– निजी खातेदारी की योजना श्रीराम विहार के भुखण्ड संख्या 157, 158 के पुर्नगठन की स्वीकृति बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि निजी खातेदारी की योजना श्रीराम विहार के भूखण्ड संख्या 157, 158 क्षेत्रफल 2322.56 वर्ग गज का आवासीय प्रयोजनार्थ पुर्नगठन निम्न पैरामीटर्स रखते हुये स्वीकृत किया गयाः–

सैटबैक

सामने I –12 मीटर (60' सडक की ओर)

सामने II –9.0 मीटर (40' सडक की ओर)

सामने III –9.0 मीटर (40' सडक की ओर)

पीछे–6.0 मीटर (भूखण्ड संख्या 155 व 156 की ओर)

अन्य मापदण्ड भवन विनियम 2010 के अनुरूप देय होगें।

प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

3/11/11

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांकः – जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2011/डी– 805

दिनांकः– 03/11/11

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(पश्चिम)/(एलपीसी)/(भूमि), जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
9. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
11. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

13/11/11

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।